UPHR010001972018

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, हरदोई।

पीठासीन अधिकारी–यशपाल, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड–यू०पी० 1867

सत्र परीक्षण संख्या–21/2018

राज्य ....अभियोजक

बनाम

1. राजू पुत्र जगदीश
2. आशा देवी पत्नी जगदीश
3. जगदीश पुत्र धनराज

सर्व निवासीगण ग्राम कुटी जमसारा, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई

....अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–169/2017

धारा–498 ए, 304 बी, 304 भारतीय दण्ड संहिता एवं,

धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना–कासिमपुर, जिला–हरदोई।

अभियोजन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता .... श्री भानु प्रताप सिंह

(सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक)

अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता .... श्री राम देव शुक्ला

घटना की तिथि	25.09.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	25.09.2017
अपराध संज्ञान की तिथि	23.12.2024
सत्र सुपुर्दगी आदेश	05.01.2018
आरोप विरचन की तिथि	23.07.2018

Digitally signed by
YASHPAL
Date: 2026.03.10
16:49:14 IST
Reason: Document
Owner
Location: District and
Sessions Court

अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथि	02.08.2018
अभियोजन साक्ष्य समाप्त करने की तिथि	08.05.2024
बयान अंतर्गत धारा–313 अंकित करने की तिथि	14.02.2024
बहस की तिथि	25.02.2026
निर्णय की तिथि	10.03.2026

निर्णय

1. **अभियुक्तगण राजू, आशा देवी एवं जगदीश** का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 498ए, 304बी, 304 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–4** के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–169/2017, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई में विवेचक द्वारा प्रेषित किये गये **आरोप पत्र (प्रदर्श क–13)** के आधार पर किया गया।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा उमाशंकर द्वारा दिनांक 25.09.2017 को प्रार्थना पत्र/लिखित तहरीर इस आशय का थाना कासिमपुर में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/वादी मुकदमा ने अपनी बहन जिया देवी उर्फ जीया की शादी राजू पुत्र जगदीश, निवासी कुटी मजरा जमसारा, थाना कासिमपुर के साथ वर्ष 2012 में अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर की थी। लेकिन ससुराल पक्ष शादी के बाद से मेरी बहन को ताना देकर मारपीट कर दहेज कम लाने का ताना देने लगे और प्रताड़ित करने लगे। शादी के कुछ महीने बाद मेरी बहन को राजू उसके घर पर छोड़ आया और कहने लगा कि मोटरसाइकिल व भैंस व 20,000/– रुपए नकद हमें दहेज में चाहिए, नहीं तो हम इसे नहीं रखेंगे। लगभग दो साल तक मेरी बहन मेरे घर पर रही। काफी कोशिश की, तब नाते–रिश्तेदारों को बीच में डालकर समझौता कर काफी खुशामद–दरामद करके कुछ सामान व 15,000/– रुपए नकद देकर विदा किया। फिर से ससुराल वाले फिर वही हरकतें करने लगे। लगभग 6 महीने पहले बहन की सास आशा देवी ने मारा–पीटा, डण्डा से मारा। मेरी बहन का सर फाड़ दिया। मेरी बहन के दो पुत्र हैं। सुमित उम्र लगभग 4 वर्ष व श्यामू उम्र लगभग डेढ़ वर्ष है। पति राजू पुत्र जगदीश, सास आशा देवी पत्नी जगदीश, ससुर जगदीश पुत्र धनराज व ननद सोनी पुत्री जगदीश सभी लोगों ने आज दिनांक 25.09.2017, समय लगभग सुबह 8 बजे सभी लोगों ने मारा–पीटा। बहनोई राजू ने मेरी ताऊ की बेटी इंद्र कुमारी पुत्री फकीरे के मोबाइल नंबर 9651276845 समय करीब शाम 04:30 बजे बताया। मेरी जिया देवी उर्फ जीपा के साथ प्रदेश कमाने जाने को लेकर झगड़ा हुआ तथा झगड़े में मारपीट से आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी है। तब मेरी बहन इंद्र कुमारी ने बताया कि जिया देवी उर्फ जीपा के मरने की खबर हमें दी। सूचना पर मैं अपने परिवार जनों के साथ ग्राम कुटी मजरा जमसारा पहुंचा, तब मैंने देखा मेरी बहन मरी

पड़ी और काफी चोटें आयी। मेरी बहन को इन सभी लोगों ने मार डाला।

3. वादी मुकदमा उमाशंकर द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर **अभियुक्तगण राजू, आशा देवी, जगदीश एवं सोनी** के **विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 169/2017, अन्तर्गत धारा–498A, 304B, 304 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी चिक एफ०आई०आर० **प्रदर्श क–8** है, जिसका खुलासा रपट सं० 35 समय 19:50 बजे दिनांक 25.09.2017 को जी०डी० में किया गया, जो पत्रावली पर **प्रदर्श क–9** है।

4. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा नकल तहरीर, नकल रपट, बयान वादी, बयान लेखक एफ०आई०आर०, निरीक्षण घटनास्थल, नकल पंचायतनामा, नकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मामले के तथ्यों से संबंधित गवाहों के बयान अंकित कर एवं बयान अभियुक्तगण एवं अन्य गवाहान के बयान अंकित किये गये। दौरान विवेचना अभियुक्ता सोनी की नामजदगी गलत पायी गयी। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त **अभियुक्तगण राजू, श्रीमती आशा देवी एवं जगदीश** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 169/2017, अन्तर्गत **धारा–498A, 304B, 304 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत **आरोप–पत्र (प्रदर्श क–13)** प्रेषित किए गए।

5. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई के द्वारा **आरोप पत्र प्रदर्श क–13** पर दिनांक 23.12.2017 को प्रसंज्ञान लेकर तथा **अभियुक्तगण राजू, श्रीमती आशा देवी एवं जगदीश** की उपस्थिति सुनिश्चित करके पुलिस प्रपत्रों की प्रतियां तैयार करायी गयी, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के उपबन्धों के अनुपालन में अभियुक्तगण को प्राप्त कराया गया। चूँकि मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, जिस कारण मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय में **दिनांक 05.01.2018** को उपार्पित किया गया।

6. तत्पश्चात अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर **अभियुक्तगण राजू, आशा देवी एवं जगदीश** के विरूद्ध **दिनांक–23.07.2018** को **धारा–498 ए, 304 बी, 304 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजन साक्ष्य के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से **कुल 08 मौखिक साक्षियों** का परीक्षण कराया गया जिनका विवरण निम्नांकित है :–

क्र०सं०	**अभियोजन साक्षी संख्या**	**अभियोजन साक्षी का नाम**

1	पी०डब्लू०–1	उमाशंकर, वादी मुकदमा (मृतका का भाई)
2	पी०डब्लू०–2	सुरेन्द्र (मृतका का बहनोई)
3	पी०डब्लू०–3	नीलकंठ (मृतका का भाई)
4	पी०डब्लू०–4	डा० रुबल सिंघल
5	पी०डब्लू०–5	तहसीलदार तनुजा निगम
6	पी०डब्लू०–6	मोहम्मद आसिफ उपनिरीक्षक
7	पी०डब्लू०–7	जितेन्द्र प्रताप सिंह उपनिरीक्षक
8	पी०डब्लू०–8	जितेन्द्र प्रताप सिंह उपनिरीक्षक **(द्वितीयक साक्ष्य के रूप में)**

8. अभियोजन की ओर से **प्रलेखीय साक्ष्य** के रूप में निम्नांकित दस्तावेजों को प्रदर्श एवं वस्तु प्रदर्श अंकित कराया गयाः–

क्रम सं०	**प्रदर्श**	**प्रपत्र**	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1	प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा उमाशंकर
2	प्रदर्श क–2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी०डब्लू०–4 डा० रुबल सिंघल
3	प्रदर्श क–3	पंचायतनामा	पी०डब्लू०–5 तनुजा निगम, तहसीलदार
4	प्रदर्श क–4	फोटो नाश	पी०डब्लू०–5 तनुजा निगम, तहसीलदार
5	प्रदर्श क–5	चालान नाश	पी०डब्लू०–5 तनुजा निगम, तहसीलदार
6	प्रदर्श क–6	चिट्ठी सी०एम०ओ०	पी०डब्लू०–5 तनुजा निगम, तहसीलदार
7	प्रदर्श क–7	नमूना मोहर	पी०डब्लू०–5 तनुजा निगम, तहसीलदार
8	प्रदर्श क–8	चिक एफ०आई०आर०	पी०डब्लू०–6 मो० आसिफ उपनिरीक्षक
9	प्रदर्श क–9	जी०डी० कायमी	पी०डब्लू०–6 मो० आसिफ उपनिरीक्षक
10	प्रदर्श क–10	फर्द बरामदगी आलाकत्ल	पी०डब्लू०–7 जितेन्द्र प्रताप सिंह

			उपनिरीक्षक
11	प्रदर्श क–11	आलाकत्ल बरामदगी का नक्शानजरी	पी०डब्लू०–7 जितेन्द्र प्रताप सिंह उपनिरीक्षक
12	वस्तु प्रदर्श–1	आलाकत्ल डण्डा	पी०डब्लू०–7 जितेन्द्र प्रताप सिंह उपनिरीक्षक
13	प्रदर्श क–12	नक्शानजरी कागज संख्या–7A/1	पी०डब्लू०–8 जितेन्द्र प्रताप सिंह उपनिरीक्षक **(द्वितीयक साक्ष्य के रूप में)**
14	प्रदर्श क–13	आरोप पत्र	पी०डब्लू०–8 जितेन्द्र प्रताप सिंह उपनिरीक्षक **(द्वितीयक साक्ष्य के रूप में)**

9. **अभियोजन की ओर से बतौर पी०डब्लू० 1 उमाशंकर** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैंने अपनी बहन जिया देवी उर्फ जीपा की शादी राजू पुत्र जगदीश के साथ दिनांक 14.04.2012 को अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर की थी, लेकिन दिए गए दान–दहेज से पति राजू व सास आशा देवी व ससुर जगदीश, ननद सोनी खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल, भैंस व 20,000/– रु० नकद की मांग करते थे और कहते थे कि इतना दहेज नहीं दोगी, तो उसे नहीं रखेंगे। इस बात को लेकर मेरी बहन को मारा–पीटा था। मारने–पीटने के बाद मेरी बहन को घर छोड़ गए थे। इस बीच मेरी बहन करीब दो वर्ष तक मेरे घर में रही। फिर काफी प्रयास करने के बाद हम लोगों ने अपनी बहन को विदा किया और राजू को 15,000/– रु० व सामान देकर विदा किया था। परंतु थोड़े समय बाद ही यह लोग फिर वही हरकतें कर प्रताड़ित करने लगे। घटना से करीब छः महीने पहले मेरी बहन की सास आशा देवी ने मेरी बहन जीपा के सर पर डण्डा मार दिया था, जिससे उसका सिर फट गया था। दिनांक 25.09.2017 को समय करीब आठ बजे सुबह पति राजू, सास आशा देवी, ससुर जगदीश व ननद सोनी ने दहेज न मिलने के कारण मेरी बहन को मारा–पीटा, मारने–पीटने से मेरी बहन की मृत्यु हो गई। इस बात की सूचना मेरे ताऊ की बेटी इन्द्र कुमारी ने अपने मोबाइल से समय करीब 04:30 बजे शाम बताया कि जिया उर्फ जीपा के साथ दहेज को लेकर झगड़ा हुआ था, झगड़े से आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर हम सभी परिवारीजन बहन की ससुराल पहुंचे थे, वहां पर मेरी बहन मरी पड़ी थी, उसके सिर में काफी चोट आईं थी। दहेज ने मिलने के कारण उपरोक्त चारों मुल्जिमानों ने मारा–पीटा व प्रताड़ित कर मेरी बहन की हत्या कर दी। इस घटना के संबंध में मैंने थाने पर तहरीर दी थी। **तहरीर** को साक्षी द्वारा **प्रदर्श क–1** के रूप में सिद्ध किया

गया। घटना के संबंध में सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था। घटना के बाद मुझे पता चला कि उपरोक्त चारों मुल्जिमानों ने मेरी बहन को डण्डों से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जब मैं पहुंचा, तो मुल्जिमान मौके पर नहीं मिले थे।''

10. **अभियोजन की ओर से बतौर पी०डब्लू० 2 सुरेन्द्र** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूं, केवल मैं हस्ताक्षर बना लेता हूं। जिया उर्फ जीपा देवी मेरी साली थी। मैंने वर्ष 2012 में जिया उर्फ जीपा देवी का विवाह राजू से कराया था। मेरी ससुराल वालों ने शादी में पर्याप्त दान–दहेज दिया था। शादी के बाद जिया उर्फ जीपा देवी के दो बच्चे हुए। वर्तमान में दोनों बच्चे अपने मामा–मामी के पास रहते हैं। शादी के बाद जिया उर्फ जीपा देवी के ससुराल वाले जगदीश, आशा देवी, सोनी, राजू दहेज क मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते हैं। दहेज की मांग को लेकर आशा देवी ने जिया उर्फ जीपा देवी के सिर पर डण्डा मारा था, जिससे उसका सिर फट गया था। हम लोग समझाने–बुझाने गए थे, लेकिन जिया उर्फ जीपा देवी के ससुराल वाले शारीरिक व मानसिक रूप से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना जारी रखा। दहेज में जिया उर्फ जीपा देवी के ससुराल वाले यह मांग करते थे कि भैंस दो या मोटरसाइकिल और बीस हजार रुपए लाकर दो। उपरोक्त मुल्जिमानों ने दहेज के लिए दिनांक 25.09.2017 को मारपीट कर जिया उर्फ जीपा देवी की हत्या कर दी। मुल्जिमान ने जिया उर्फ जीपा देवी को लाठी डण्डों से बहुत बुरी तरीके से मारा–पीटा था, जिससे उसके नाजुक/प्राइवेट हिस्से पर काफी चोटें आयी थीं और जिया उर्फ जीपा देवी की मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु की सूचना पर मैं वहां गया था। वहां पर पंचायतनामा भरा गया था। जिस पर मैंने अपने हस्ताक्षर किए थे।''

11. **अभियोजन की ओर से बतौर पी०डब्लू० 3 नीलकंठ** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "हाजिर अदालत मुल्जिमान जगदीश व राजू को जानता–पहचानता हूं। राजू को मेरी बहन जीपा उर्फ जिया देवी ब्याही थी। मेरी बहन की शादी 14 अप्रैल 2012 को राजू के साथ हुयी थी। शादी में मैंने अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था। दिए गए दहेज से मेरी बहन के पति राजू, सास आशा देवी, ससुर जगदीश व ननद सोनी खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में भैंस, गाड़ी व 20,000/– रुपए की मांग कर रहे थे। कह रहे थे कि दहेज नहीं दोगे, तो रहने नहीं देंगे, मारते–पीटते थे। उसके बाद मारपीटकर बहन को मेरे घर छोड़ गए। मेरी बहन करीब दो वर्ष तक मेरे घर पर रही। फिर काफी पंचायत के बाद 15,000/– रु० देकर मैंने बहन को विदा किया। थोड़े दिन के बाद मेरी बहन के साथ फिर वही बर्ताव कर मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। मेरी बहन की सास ने घटना के छः माह पहले मेरी बहन के सिर पर डण्डा मारा था,

जिससे उसका सिर फट गया था। घटना दिनांक 25.09.2017 को समय करीब 08:00 बजे सुबह राजू, आशा देवी, ससुर जगदीश व ननद सोनी ने मेरी बहन को मारा–पीटा, जिससे मेरी बहन की मृत्यु हो गयी। मेरी बहन की मृत्यु की सूचना मेरे ताऊ की बेटी इन्द्र कुमारी ने अपने मोबाइल से 04:00–04:30 बजे बताया था कि जीपा उर्फ जिया देवी की राजू से प्रदेश कमाने की बात को लेकर विवाद होने पर मारपीट हो गयी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। सूचना पर हम परिवारीजन बहन की ससुराल गए थे। मैंने अपनी बहन की चोटें देखी थीं। उसके सिर पर चोट लगी थी। जिससे खून निकला था। शरीर में भी काफी चोटें थीं। दहेज न मिलने के कारण मेरी बहन को अभियुक्तगण ने मारपीटकर हत्या कर दी। बहन को ससुराल वाले काली होने का ताना देते थे। पुलिस वालों ने मेरा बयान लिया था। घटना की रिपोर्ट मेरे भाई उमाशंकर ने लिखायी थी।"

12. **अभियोजन की ओर से बतौर पी०डब्लू० 4 डा० रुबल सिंघल** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 26.09.2017 को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला पर तैनात था। उस दिन पोस्टमार्टम ड्यूटी के समय एक सील सर्वमोहर शव, जिसे का० अशोक कुमार थाना कासिमपुर लेकर आया था और जिसकी शिनाख्त जिया देवी पत्नी राजू, निवासी कुटी मजरा जमसारा, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई के रूप में की थी। संबंधित कांस्टेबिल 12 पुलिस पेपरों के साथ लेकर आया था।

बाह्य परीक्षणः– मृतका एक दुर्बल कद काठी की 25 वर्षीय महिला थी, जिसकी ऊंचाई 150 सेमी तथा शारीरिक बनावट छरहरी है। पी०एम० स्टेनिंग पीठ व दोनों नितम्बों पर मौजूद थी। मृत्यु पश्चात अकड़न शव पर नहीं पायी गयी थी।

मृत्यु पूर्व आयी चोटेंः– 1. बाएं कान के ऊपर 5.0 cm x 1.0 cm x हड्डी तक गहरा laceration जो 8.0 cm बाएं कान से ऊपर था। उसके ऊपर जमा हुआ खून मौजूद था।

2. चोट नंबर–1 के नीचे खोपड़ी में फ्रेक्चर था।

आंतरिक परीक्षणः– बाएं कान से 8.0 cm ऊपर laceration था, उसके अंदर फ्रेक्चर था, जो बायीं parietal हड्डी का था। मृतका के फेफड़े कन्जेस्टेड थे। दाहिने का वजन 400 gm व बाएं का 350 gm था। हृदय का दाहिना चेम्बर भरा था तथा बायां खाली था। बड़ी रक्त वाहिनियां collops थी। यकृत का पित्ताशय सहित वजन 1250 gm, spleen 80 gm था। उपरोक्त के आधार पर shock and hemorrhage था, जो मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण हुआ। मृत्यु का संभावित समय पोस्टमार्टम से 24 घण्टे से अधिक समय का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी सी०एम०ओ०, हरदोई को एवं द्वितीय प्रति (original) व 12 पुलिस पेपर संबंधित सिपाही को हस्तगत करा दिए थे। **शव विच्छेदन**

आख्या को साक्षी ने **प्रदर्श क–2** के रूप में सिद्ध किया गया है।''

13. **अभियोजन की ओर से बतौर पी०डब्लू० 5 तनुजा निगम, तहसीलदार** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 26.09.2017 को मैं नायब तहसीलदार, सण्डीला के पद पर कार्यरत थी। उस दिन एस०डी०एम० सण्डीला के आदेश के क्रम में मैं ग्राम कुटी मजरा जमसारा, थाना कासिमपुर पहुंचकर श्रीमती जिया देवी उर्फ जीपा पत्नी राजू रैदास, निवासी ग्राम कुटी मजरा जमसारा, थाना कासिमपुर के पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे देखरेख में एस०आई० पुष्पेन्द्र सिंह के द्वारा की गयी थी। पंचायतनामा प्रपत्र पर मेरे हस्ताक्षर है। पंचायतनामा से संबंधित प्रपत्र, फोटो नाश, चालान नाश, चिट्ठी सी०एम०ओ०, नमूना मोहर आदि सभी प्रपत्रों पर मेरे हस्ताक्षर हैं। सभी प्रपत्र मैंने बोल–बोलकर एस०आई० पुष्पेन्द्र सिंह से तैयार कराए थे। साक्षी द्वारा **पंचायतनामा को प्रदर्श क–3, फोटो नाश को प्रदर्श क–4, चालान नाश को प्रदर्श क–5, चिट्ठी सी०एम०ओ० को प्रदर्श क–6 व नमूना मोहर को प्रदर्श क–7** के रूप में सिद्ध किया गया। मौके पर पहुंचकर पंचान नियुक्त करके पंचायतनामा की कार्यवाही करायी थी तथा राय पंचान भी मेरे द्वारा पंचान से ली गयी थी। पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद मृतका का शव, शव विच्छेदन हेतु भेजा गया। पंचान राय में पंचान ने बताया था कि मृतका की मृत्यु दहेज के लिए मारपीट में आयी चोटों के कारण हुयी है।''

14. **अभियोजन की ओर से बतौर पी०डब्लू० 6 मोहम्मद आसिफ उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं दिनांक 25.09.2017 को थाना कासिमपुर पर बतौर हेड मोहर्रिर तैनात था। उस दिन वादी उमाशंकर के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा अपराध संख्या–169/2017, अंतर्गत धारा–498A, 304B, 304 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 डी०पी० एक्ट में समय 19:50 बजे अभियुक्तगण राजू, आशा देवी, जगदीश व सोनी के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसकी चिक मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर सी०सी०टी०एन०एस० से किता की गयी थी। **चिक एफ०आई०आर०** को साक्षी द्वारा **प्रदर्श क–8** के रूप में सिद्ध किया गया है। उपरोक्त मुकदमे का खुलासा मेरे द्वारा उसी दिन जी०डी० की रपट नंबर 35, समय 19:50 पर किया गया था। पत्रावली पर शामिल जी०डी० की कार्बन प्रति मूल के साथ एक ही प्रक्रिया में मेरे द्वारा तैयार की गयी है। **जी०डी० की कार्बन प्रति** को साक्षी द्वारा **प्रदर्श क–9** के रूप में सिद्ध किया गया है।''

15. **अभियोजन की ओर से बतौर पी०डब्लू० 7 जितेन्द्र प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं दिनांक 28.09.2017 को थाना कासिमपुर पर बतौर एस०आई० तैनात था। उस दिन थानाध्यक्ष

कासिमपुर के आदेश पर अभियुक्त राजू, जगदीश प्रसाद व आशा देवी को कल्लावां नहर पुल से दिनांक 28.09.2017 को समय 08:10 ए०एम० पर हमराही कर्मचारी एस०आई० पुष्पेन्द्र सिंह, का० अंकुर चौधरी, महिला का० उपासना गुप्ता के साथ गिरफ्तार किया गया था। मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र लेकर किया गया था। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त राजू द्वारा अपनी पत्नी मृतका को डण्डे से मारने व उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाने व आलाकत्ल डण्डा बरामद कराने का बयान दिया गया। बाउम्मीद बरामदगी अभियुक्त राजू को लेकर मय हमराहीगण एस०आई० पुष्पेन्द्र सिंह, का० अंकुर चौधरी के सरकारी वाहन से आदेश क्षेत्राधिकारी श्रीमान सण्डीला के थाना हाजा से रवाना होकर घटनास्थल अभियुक्त के घर ग्राम कुटी मजरा जमसारा आया, तो अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या में प्रयुक्त बांस के डण्डे को झोपड़ी से निकालकर मुझे दिया था। बांस का डण्डा लगभग 5 बालिस्त लंबा था। उसके निचले भाग पर खूनालूद था तथा निचला हिस्सा फटा हुआ था। उपरोक्त डण्डे को ग्रामसभा के गवाहान व हमराही फोर्स के समक्ष आलाकत्ल डण्डे को एक सफेद कपड़े में रखकर सील सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया था एवं गवाहान के आलामात बनाए गए थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त राजू को दी गयी थी। **फर्द बरामदगी आलाकत्ल** को साक्षी द्वारा **प्रदर्श क–10** के रूप में सिद्ध किया गया है। मौके पर ही मेरे निर्देशन में हमराही कर्मचारी द्वारा आलाकत्ल बरामदगी का नक्शानजरी मेरे द्वारा बनवाया गया था। **नक्शानजरी** को साक्षी द्वारा **प्रदर्श क–11** के रूप में सिद्ध किया गया है।''

16. **अभियोजन की ओर से बतौर पी०डब्लू० 8 उपनिरीक्षक जितेन्द्र प्रताप सिंह (द्वितीयक साक्ष्य के रूप में परीक्षित)** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 26.09.2017 को मेरी तैनाती थाना कासिमपुर में उपनिरीक्षक के पद पर थी। मुकदमा अपराध संख्या–169/2017, धारा–498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट, थाना कासिमपुर की विवेचना क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह सण्डीला के द्वारा विवेचना की गयी थी। ग्राम कुटी मजरा जमसारा घटनास्थल मेरे हल्के में था, जिसके कारण घटना की सूचना प्राप्त होने पर वादी मुकदमा श्री उमाशंकर पुत्र द्वारिका की लिखित तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराने उपरांत विवेचक श्रीमान सी०ओ० सण्डीला श्री अरुण कुमार सिंह व तहसीलदार नायब तनुजा निगम सण्डीला को साथ लेकर घटनास्थल पर गए थे, जहां पर नायब तहसीलदार द्वारा पंचायतनामा भरा गया था तथा विवेचक श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण मेरे समक्ष किया गया था। मैं सी०ओ० साहब सण्डीला के हस्तलेख को पहचानता हूं। **नक्शानजरी** को साक्षी द्वारा **प्रदर्श क–12** के रूप में, द्वितीयक साक्षी के रूप में सिद्ध किया गया है। दिनांक 02.11.2017 को आरोप पत्र संख्या–37/2017, धारा–498A,

304B, 304 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 डी०पी० एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। **आरोप पत्र** को साक्षी द्वारा **प्रदर्श क–13** के रूप में, द्वितीयक साक्षी के रूप में सिद्ध किया गया है।''

17. बाद अभियोजन साक्ष्य समाप्ति **अभियुक्तगण राजू, जगदीश एवं आशा देवी** का बयान **अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक** 14.02.2024 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक के संबंध में **"गलत है''** कहा। साक्षी पी०डब्लू० 1 **वादी मुकदमा उमाशंकर** के बयान के संबंध में **"गलत बयान दिया है। राय मशविरा से झूठी रिपोर्ट लिखायी"** का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 2 **सुरेन्द्र** के बयान के संबंध में **"गलत बयान दिया है"** का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 3 **नीलकण्ठ** के बयान के संबंध में **"गलत बयान दिया है"** का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 4 **डा० रुबल सिंघल** के बयान के संबंध में **"कोई जानकारी नहीं है"** का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० **5 तहसीलदार तनुजा निगम** के बयान के संबंध में **"विपरीत समय पर सारे प्रपत्र तैयार किए गए। गलत बयान दिया"** का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० **6 उपनिरीक्षक मोहम्मद आसिफ** के बयान के संबंध में **"राय मशविरा में विपरीत समय पर रिपोर्ट दर्ज करायी। जी०डी० का गलत इंद्राज किया"** का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० **7 जितेन्द्र प्रताप सिंह** के बयान के संबंध में **"फर्जी बरामदगी दिखायी व गलत बयान दिया"** का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० **8 उपनिरीक्षक जितेन्द्र प्रताप सिंह** के बयान के संबंध में **"गलत बयान दिया है"** का कथन किया है। अपने विरुद्ध मुकदमा **रंजिशन चलने** का कथन किया। सफाई साक्ष्य देने का कथन किया। <u>अभियुक्त राजू द्वारा अतिरिक्त कथन में कहा गया कि</u> मैंने अपनी पत्नी जिया देवी व उसके मायके वालों से कभी दहेज की मांग नहीं की न ही दहेज हेतु जिया देवी को कभी प्रताड़ित किया। घटना के दिन सुबह मैं कमल पुत्र देवीदयाल, निवासी जमसारा के यहां मजदूरी करने गया था। उनके मकान में जुड़ाई का काम हो रहा था। मुझे वहां सूचना मिली कि मेरी पत्नी जानवरों के लिए पानी हैण्डपम्प से निकालकर जा रही थी और उसी समय नल के पास फिसलकर गिर गयी थी। यह नल सरकारी था तथा मेरे मकान के बाहर मेरी सहन जमीं पर था। जिया देवी को फिसल कर गिरते हुए मेरे पड़ोसी सुनील व बलवंत ने देखा था। फिसलकर गिरने से जिया देवी के सर में चोट आ गयी थी व उसकी मृत्यु हो गयी थी। सूचना पर मैं घर आया था। अपनी ससुराल को व पुलिस को सूचना करायी थी। मैं निर्दोष हूं। <u>अभियुक्त जगदीश ने अतिरिक्त कथन में कहा है कि</u> घटना के समय मैं व मेरी पत्नी खेत में थे। मेरा पुत्र राजू कमल पुत्र देवीदयाल के घर मजदूरी करने गया था। घटना के समय उन्हीं के घर मौजूद था। मेरी बहू जिया देवी जानवरों को पानी पिलाने के लिए नल से पानी भरकर ले जा रही थी और

फिसलकर गिर गयी थी, जिससे उसके सिर में चोट आ गयी। इस घटना को मेरे गांव के सुनील पुत्र श्यामलाल व बलवंत पुत्र चंद्रिका ने देखा था व मुझे खेत पर सुनील ने आकर सूचना दी थी। तब मैं घर आया था। खबर पाकर मेरा लड़का राजू भी घर आया था। सिर में चोट लगने के कारण जिया देवी की मृत्यु हो चुकी थी। जिया देवी के मायके खबर की थी व पुलिस को भी सूचना दी थी। मैंने जिया देवी या उसके घर वालों से कभी दहेज नहीं मांगा न प्रताड़ित किया। जिया देवी के बहनोई सुरेन्द्र मेरी गांव सभा मोटाखेड़ा के रहनेए वाले हैं। उनके बहकावे में आकर यह झूठा मुकदमा वादी पक्ष ने लिखवाया। अभियुक्ता आशा देवी द्वारा अतिरिक्त कथन में कहा गया कि मैं घटना वाले दिन घटना के समय अपने पति के साथ खेत में थी। जिया देवी नल से पानी भरकर जानवरों को पिलाने जा रही थी। वह फिसलकर नल के पास गिर गयी थी, जिसे मेरे पड़ोसी सुनील व बलवंत आदि ने देखा था। सुनील ने खेत पर खबर की थी व हम लोग घर गए थे। मेरा लड़का राजू, कमल पुत्र देवीदयाल के घर मजदूरी करने गया था व घटना वक्त वहीं पर था। मैं निर्दोष हूं। हम लोगों ने कभी दहेज की मांग नहीं की न ही जिया देवी को प्रताड़ित किया। इस मुकदमे में हमें झूठा फंसाया गया है। फिसलकर गिरने से चोट आने से जिया देवी की मृत्यु हुयी है।

18. **बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में कुल 03 मौखिक साक्षियों** का परीक्षण कराया गया जिनका विवरण निम्नांकित है :–

क्र०सं०	बचाव साक्षी संख्या	बचाव साक्षी का नाम
1	डी०डब्लू०–1	सुनील
2	डी०डब्लू०–2	कमल कुमार
3	डी०डब्लू०–3	राजगोपाल

19. बचाव पक्ष की ओर से बतौर **डी०डब्लू० 1 सुनील** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि हाजिर अदालत जगदीश पुत्र धनराज को जानता व पहचानता हूं। मेरे गांव के रहने वाले हैं और पड़ोसी हैं। जगदीश के लड़के राजू व पत्नी आशा देवी को जानता व पहचानता हूं। राजू की पत्नी जिया देवी को पहचानता हूं। जिया देवी की शादी राजू के उसकी मृत्यु से सात साल पहले हुयी थी। शादी के बाद से राजू व उसकी पत्नी जगदीश व आशा देवी से अलग रहते थे। जिया देवी मेरे घर आती–जाती थी। मुझसे व मेरी पत्नी से बातचीत करती थी। जिया देवी ने हम लोगों को कभी नहीं बताया कि उसके पति व सास–ससुर दहेज में मोटरसाइकिल और रुपए मांगते हैं और प्रताड़ित करते हैं। राजू व उसकी पत्नी जिया देवी राजी–खुशी से रहते थे। कोई विवाद नहीं था। आज से लगभग साढ़े छः वर्ष होने को है। सुबह 10 बजे का समय था। राजू के

मकान के सामने उसी की जगह में सरकारी हैण्डपम्प था। जिससे जिया देवी बाल्टी में पानी भरकर भैंस को पिलाने जा रही थी। नल के पास जमीन गीली थी। जिससे फिसलकर जिया देवी पीठ के बल गिरी थी और उसका सिर हैण्डपम्प के पास बनी चट्टान की कोर टकरा गया था और वह बेहोश हो गयी थी। मैं उस समय नल पर पानी लेने गया था। वहीं नल के पास मौजूद था। मैंने व मेरे गांव के बलवन्त पुत्र चन्द्रिका प्रसाद ने जिया देवी को गिरते देखा था। उस समय राजू, आशा देवी व जगदीश मौके पर मौजूद नहीं थे। आशा देवी, जगदीश खेत पर थे। राजू जमसारा गांव में कमल पुत्र देवीदयाल के घर मजदूरी कर रहा था। मैंने इस घटना की सूचना आशा देवी को खेत पर जाकर दी थी। तब यह लोग मौके पर आए थे। किसी ने राजू को खबर की थी। वह भी जमसारा से आया था। राजू ने पुलिस वालों को सूचना करायी थी। राजू व उनके परिवार वालों को राजू के साढ़े सुरेन्द्र ने अपनी ससुराल वालों से कहकर झूठा मुकदमा लिखवाया है।

20. बचाव पक्ष की ओर से बतौर **डी०डब्लू० 2 कमल** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं हाजिर अदालत जगदीश पुत्र धनराज को जानता हूं। मैं जगदीश के पुत्र राजू व जगदीश की पत्नी आशा देवी को भी जानता पहचानता हूं। आज से लगभग साढ़े छः साल पहले सुबह करीब 10 बजे जिया देवी पत्नी राजू की हैण्डपम्प के पास फिसलकर गिरने से मृत्यु हुयी थी। मेरे घर पर उस समय 15 दिन पहले से मकान का निर्माण हो रहा था। मेरे घर पर राजमिस्त्री बहादुर व मजदूर राजू पुत्र जगदीश व पप्पू काम कर रहे थे। जिया देवी के मृत्यु वाले दिन भी राजू सुबह लगभग 8 बजे मजदूरी करने आया था। मैं भी साथ में काम कर रहा था। हाजिर अदालत जगदीश ने उस दिन सुबह 11 बजे मेरे घर पर आकर अपने पुत्र राजू को सूचना दी कि जिया देवी नल के पास फिसल कर गिर गयी है और सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गयी है। राजू अपने पिता जगदीश के साथ उसी समय मेरे घर से अपने घर गए थे। मैं भी राजू के साथ घर गया था। जिया देवी को मैंने राजू के चबूतरे पर मृत अवस्था में चारपाई पर देखा था। नल के पास चबूतरे के पास खून पड़ा देखा था। मैं वहां 15, 20 मिनट तक रुका था। फिर मैं वहां से चला आया था, क्योंकि मजदूर घर पर काम कर रहे थे। मेरे गांव जमसारा से राजू का गांव कुटी लगभग एक किलोमीटर दूर है। जिया देवी की मृत्यु वाले दिन राजू सुबह 8 बजे से सूचना मिलने तक बराबर मेरे साथ मेरे घर पर मौजूद रहा और काम करता रहा। इस दौरान मेरे घर से कहीं नहीं गया।

21. बचाव पक्ष की ओर से बतौर **डी०डब्लू० 3 राजगोपाल** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं हाजिर अदालत जगदीश को जानता व पहचानता हूं, जो ग्राम कुटी, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई के रहने वाले हैं। मैं जगदीश

के पुत्र राजू, पत्नी आशा देवी और सोनी पुत्री को भी जानता व पहचानता हूं। मेरा खेत जगदीश के गांव के पड़ोस में है। मेरा गांव जगदीश के गांव से दो–तीन किलोमीटर दूर है। आज से लगभग 8 साल पहले अपना खेत जगदीश को बटाई पर दिया था। घटना लगभग साढ़े छः साल पहले की है। घटना वाले दिन जगदीश व उनकी पत्नी आशा देवी व पुत्री सोनी मेरे खेत में मक्का की फसल की कटाई शुरू हुयी थी। लगभग 8 बजे सुबह अपने खेत पर पहुंच गया था। उस समय जगदीश व उनकी पत्नी व पुत्री मक्का की फसल काट रहे थे। लगभग साढ़े दस बजे सुबह जगदीश के गांव का एक आदमी आया और खबर दी कि जगदीश की बहू नल पर फिसलकर गिर गयी है और गिरने से सिर में चोट लगने से बेहोश हो गयी है। इस खबर पर जगदीश व उसकी पत्नी आशा देवी व पुत्री व मैं मौके पर गया था। मौके पर मैंने राजू की पत्नी को नल के पास घायल पड़े हुए देखा था। वहां पर राजू नहीं था। राजू उस दिन ग्राम जमसारा में मजदूरी करने गया था। जगदीश जमसारा राजू को खबर करने गए थे। मैं मौके पर आधा–पौन घण्टा रुका था।

22. **दौरान बहस विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** ने अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुए कहा कि प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन के मामले का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है, साथ ही वादी मुकदमा उमाशंकर द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम का सिलसिलेवार वर्णन अपने साक्ष्य में किया गया है। वादी मुकदमा का साक्ष्य अपने आप में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त है। अभियोजन की ओर से साक्षीगण पी०डब्लू०–2 सुरेन्द्र एवं पी०डब्लू०–3 नीलकण्ठ द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया। अभियोजन यह साबित कर चुका है कि मृतका की मृत्यु उसकी शादी के सात वर्ष के अंदर हुयी, मृतका की मृत्यु असामान्य थी तथा मृत्यु पूर्व अभियुक्तगण ने मृतका का दहेज उत्पीड़न किया। अतः यह साबित करने का भार अभियुक्तगण पर है कि उन्होंने मृतका की दहेज हत्या कारित नहीं की। मृतका की हत्या उसकी ससुराल में हुयी है। अभियोजन ने कहा कि यदि दहेज हत्या के अनिवार्य तत्व साबित न भी हो पाएं तो भी, चूंकि मृतका की हत्या उसके ससुराल में हुयी तथा चूंकि अभियुक्तगण यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं कि उनके घर में मृतका की हत्या कैसे हुयी, इसलिए अभियुक्तगण, दहेज हत्या के दोषी हैं। घटना साबित है। अभियोजन अपने मामले को अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप के लिए दोषसिद्ध किया जाना चाहिए।

23. **दौरान बहस बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता** की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष गवाही के दौरान अपने बयान में तात्विक सुधार किया गया है, जो कि उसकी

विश्वसनीयता को पूर्ण रूप से खण्डित करता है। साक्षियों के बयानों में घोर विरोधाभास है। घटना के समय अभियुक्तगण घर पर नहीं थे। मृतका की मृत्यु नल के पास फिसल कर गिरने से आयी सिर में चोटों के कारण हुयी है। बचाव पक्ष ने कहा कि दहेज उत्पीड़न का तथ्य भी साबित नहीं है। अभियोजन का कथानक युक्तियुक्त संदेहों से परिपूर्ण है। अतः अभियुक्तगण इस मामले में दोषमुक्ति का हकदार है।

24. **अभियुक्तगण राजू, जगदीश एवं आशा देवी पर अभियोजन द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि** दिनांक 25.09.2017 को व इससे पूर्व, बहद ग्राम कुटी मजरा जमसारा अंतर्गत थाना कासिमपुर, जिला हरदोई में वादी मुकदमा उमाशंकर की बहन श्रीमती जिया देवी उर्फ जीपा (मृतका) जो कि अभियुक्त राजू की पत्नी थी, से दहेज में 20,000/– रु०, मोटर साइकिल व भैंस की मांग करते थे व इसके लिए मृतका को प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया एवं वादी मुकदमा की बहन श्रीमती जिया देवी (मृतका) को मारपीटकर ऐसी शारीरिक क्षति, यह जानते हुए कि इससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, पहुंचाई और परिणामस्वरूप मृतका की मृत्यु हो गई। अर्थात् अभियुक्तगण पर **धारा–498 ए, 304 बी, 304 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** का आरोप अभियोजन द्वारा लगाया गया।

25. उभय पक्षों के तर्को के आधार पर इस मामले में निम्न **अवधार्य प्रश्न** उत्पन्न होता है कि क्या **अभियुक्तगण राजू, जगदीश एवं आशा देवी** के विरुद्ध अभियोजन द्वारा लगाया गया **आरोप अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी, 304 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,** युक्तियुक्ति संदेह से परे साबित है अथवा नहीं।

26. **धनपाल बनाम स्टेट 2009 (62) ए०सी०सी० 697** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिधारित किया गया है कि अपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करें तथा न्यायालय का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि जैसा अभियोजन का कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाये। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में किसी भी प्रकार के अभिवृद्धि या सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैसा कि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के आवश्यक तत्व को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्ति संदेह से परे साबित करें और यदि अभियोजन पक्ष अपने इस दायित्व में विफल रहता है कि तो उसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिये।

27. **इस सम्बन्ध में विधिक प्रावधान इस प्रकार हैंः–**

धारा–498 ए भारतीय दण्ड संहिता–

किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना – जो कोई,

किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

<u>धारा–304 बी भारतीय दण्ड संहिता–</u>

दहेज मृत्यु – (1) जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिये, या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहाँ ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जायेगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

<u>धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता–</u>

हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव–वध के लिये दण्ड – जो कोई ऐसा आपराधिक मानव–वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाये, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

<u>धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम</u>

दहेज मांगने से लिए शास्ति. – यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति वधू या वर के माता–पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

<u>उभय पक्ष के तर्क, साक्ष्य का विश्लेषण व न्यायालय का निष्कर्षः–</u>

28. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सावधानी एवं सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया।

29. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा उमाशंकर की ओर से थानाध्यक्ष, थाना कासिमिपुर, हरदोई में **दिनांक 25.09.2017** को **तहरीर प्रदर्श क–1** इस आशय से प्रस्तुत की गई कि "प्रार्थी/वादी मुकदमा ने अपनी बहन जिया देवी उर्फ जीया की शादी राजू पुत्र जगदीश, निवासी कुटी मजरा जमसारा, थाना कासिमपुर के साथ वर्ष 2012 में अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर की थी। लेकिन ससुराल पक्ष शादी के बाद से मेरी बहन को ताना देकर मारपीट कर दहेज कम लाने का ताना देने लगे और प्रताड़ित करने लगे। शादी के कुछ महीने बाद मेरी बहन को राजू उसके घर पर छोड़ आया और कहने लगा कि मोटरसाइकिल व भैंस व 20,000/– रुपए नकद हमें दहेज में चाहिए, नहीं तो हम इसे नहीं रखेंगे। लगभग दो साल तक मेरी बहन मेरे घर पर रही। काफी कोशिश की, तब नाते–रिश्तेदारों को बीच में डालकर समझौता कर काफी खुशामद–दरामद करके कुछ सामान व 15,000/– रुपए नकद देकर विदा किया। फिर से ससुराल वाले फिर वही हरकतें करने लगे। लगभग 6 महीने पहले बहन की सास आशा देवी ने मारा–पीटा, डण्डा से मारा। मेरी बहन का सर फाड़ दिया। मेरी बहन के दो पुत्र हैं। सुमित उम्र लगभग 4 वर्ष व श्यामू उम्र लगभग डेढ़ वर्ष है। पति राजू पुत्र जगदीश, सास आशा देवी पत्नी जगदीश, ससुर जगदीश पुत्र धनराज व ननद सोनी पुत्री जगदीश सभी लोगों ने आज दिनांक 25.09.2017, समय लगभग सुबह 8 बजे सभी लोगों ने मारा–पीटा। बहनोई राजू ने मेरी ताऊ की बेटी इंद्र कुमारी पुत्री फकीरे के मोबाइल नंबर 9651276845 समय करीब शाम 04:30 बजे बताया। मेरी जिया देवी उर्फ जीपा के साथ प्रदेश कमाने जाने को लेकर झगड़ा हुआ तथा झगड़े में मारपीट से आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी है। तब मेरी बहन इंद्र कुमारी ने बताया कि जिया देवी उर्फ जीपा के मरने की खबर हमें दी। सूचना पर मैं अपने परिवार जनों के साथ ग्राम कुटी मजरा जमसारा पहुंचा, तब मैंने देखा मेरी बहन मरी पड़ी और काफी चोटें आयी। मेरी बहन को इन सभी लोगों ने मार डाला।'' उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना कासिमपुर में **मुकदमा अपराध संख्या–169/2017** दर्ज हुआ। सम्बन्धित **थाना कासिमपुर** में अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–6 उपनिरीक्षक मोहम्मद आसिफ** द्वारा चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत **मुकदमा अपराध संख्या–169/2017, अन्तर्गत धारा 498A, 304B, 304 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** अंकित की गयी, जिसका तस्करा कायमी मुकदमा जी०डी० पर किया गया। **पी०डब्लू०–6 उपनिरीक्षक मोहम्मद आसिफ** अपने साक्ष्य में **प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8 एवं कायमी जी०डी० प्रदर्श क–9** को साबित किया गया है।

30. प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 25.09.2017 की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दिनांक 25.09.2017 को दर्ज की गयी है। न्यायालय अभियोजन के तर्कों से सहमत

है। प्रथम सूचना रिपोर्ट शीघ्र तथा तात्कालिक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाए जाने में कोई विलंब नहीं किया गया है।

31. **न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मृतका जिया देवी उर्फ जीपा की दहेज मृत्यु कारित की है**? इस संबंध में विधिक स्थिति का अवलोकन किया जाना समीचीन है। **कुन्ही अब्दुल्ला बनाम केरल राज्य (2004) 4 एस०सी०सी० 13, बलजीत बनाम स्टेट आफ हरियाणा ए०आई०आर० 2004 एस०सी० 1714, हंसराज बनाम स्टेट आफ पंजाब ए०आई०आर० 2004, एस०सी० 2324, दुर्गा प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 9 एस०सी०सी० 73 एवं कामेश पंजियार उर्फ कमलेश पंजियार बनाम बिहार राज्य 2005 उम० नि०सा० पृष्ठ 174** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **धारा 304 ख भारतीय दण्ड संहिता** का आरोप अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध करने हेतु निम्न आवश्यक तत्व उल्लिखित किये गये हैं–

1. स्त्री की मृत्यु जलने या शारीरिक चोटों से या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई हो,
2. वह मृत्यु विवाह के 7 वर्षों के भीतर हुई हो,
3. उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके किसी संबंधी ने स्त्री के प्रति क्रूरता बरती हो,
4. वह क्रूरता या तंग करना दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में हो,

इस विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 113 ख** भी दर्शनीय है। जिसमें **" दहेज मृत्यु "** के मामले में उपधारणा की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था दहेज हत्या के प्रकरणों में किसी विवाहिता की मृत्यु से संबंधित मामलों में साक्ष्य मिलने में कठिनायी को दृष्टि में रखकर की गयी है। उपधारणा तभी की जायेगी जब निम्नलिखित आवश्यक तत्व साबित हो जाये–

1. न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न होना चाहिए कि क्या अभियुक्त ने स्त्री की दहेज मृत्यु घटित की है। इसका अर्थ यह हुआ कि उपधारणा तभी की जा सकेगी जबकि अभियुक्त का विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी के अधीन अपराध के लिए हो रहा हो,
2. पति या उसके संबंधियों द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता बरती गयी हो या उसे तंग किया गया हो,
3. वह क्रूरता या तंग करना दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में हो,
4. वह क्रूरता या तंग करना मृत्यु के कुछ पूर्व हुआ हो,

32. उक्त **धारा 113 ख व 304 ख** से प्रकट होता है कि यह दिखाने के लिए सामग्री

होना चाहिए कि मृतका की मृत्यु के कुछ पूर्व उसके प्रति क्रूरता बरती गयी या उसे तंग किया गया। अभियोजन का दायित्व है कि प्राकृतिक या दुर्घटनावश मृत्यु की संभावना को नकार दे तभी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मानी जायेगी। **"कुछ पूर्व" (Soon Before)** पद सापेक्ष है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उसके लिए कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं बताया जा सकता कि घटना के पूर्व कितना समय **"कुछ पूर्व"** माना जायेगा। मानदण्ड समीप्य या निकटता का होगा। इसके लिए **साक्ष्य अधिनियम की धारा 114** का दृष्टांत देखा जा सकता है। जिसमें दिया हुआ है कि चुराये गये माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्जा है, जबकि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके तो या तो वह चोर है या वह चोरी के माल को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। मामले का विनिश्चय उसके तथ्यों व परिस्थितियों से करना होगा। उससे सामान्यतः अभिप्रेत होगा कि दोनों के बीच का अन्तराल अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच की निकटता का और जीवन्त संबंध होना चाहिए। इस संबंध में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की **"दहेज"** की परिभाषा लागू होगी। दहेज विवाह के पहले दिया जा सकता है, विवाह के समय दिया जा सकता है और उसके बाद भी किसी समय दिया जा सकता है। अंतिम अवसर बहुत दूर का भी हो सकता है। किन्तु यह आवश्यक है कि वह पक्षकारों के विवाह के संबंध में हो। अन्य अदायगियाँ उसमें नहीं आयेंगी।

33. उपरोक्त विधिक परिप्रेक्ष्य में अब अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करके यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मौके एवं प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों एवं अभिकथित तत्वों को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है।

34. **प्रथम विचारणीय प्रश्न है कि क्या मृतका जिया देवी उर्फ जीपा की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुई?** इस संबंध में यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो स्पष्ट होता है, कि वादी मुकदमा उमाशंकर द्वारा **तहरीर प्रदर्श क–1** में मृतका जिया देवी उर्फ जीपा का विवाह अभियुक्त राजू के साथ वर्ष 2012 में होने का उल्लेख किया है तथा **वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 उमाशंकर** द्वारा अपनी **मुख्य परीक्षा** में उसकी बहन जिया देवी का अभियुक्त राजू पुत्र जगदीश से विवाह दिनांक 14.04.2012 को होने का कथन किया। **पी०डब्लू०–2 सुरेन्द्र,** जो कि मृतका का बहनोई है, के द्वारा भी अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह साक्ष्य दिया है कि वर्ष 2012 में जिया देवी उर्फ जीपा का विवाह राजू पुत्र जगदीश के साथ हुआ था। **पी०डब्लू०–3 नीलकण्ठ,** जो कि मृतका का भाई है, ने भी अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया है कि मेरी बहन की शादी 14 अप्रैल 2012 को राजू के साथ हुयी थी। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों से बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत जिरह की गयी है, परंतु जिरह में ऐसा कोई विपरीत तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे

उपरोक्त अभियोजन साक्षियों द्वारा मृतका जिया देवी के अभियुक्त राजू के साथ विवाह सन् 2012 में होने के कथनों पर अविश्वास किया जा सके और न ही बचाव पक्ष द्वारा अपने खण्डन में कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा की बहन जिया देवी उर्फ जीपा की ससुराल में मृत्यु दिनांक 25.09.2017 को हुयी है। इस संबंध में **पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा उमाशंकर** द्वारा **मुख्य परीक्षा के पेज संख्या 1** पर यह कहा है कि दिनांक 25.09.2017 को समय करीब 08:00 बजे सुबह पति राजू, सास आशा देवी, ससुर जगदीश व ननद सोनी ने दहेज न मिलने के कारण मेरी बहन को मारा–पीटा। मारने–पीटने से मेरी बहन की मृत्यु हो गयी है।

35. **पी०डब्लू० 2 सुरेन्द्र** द्वारा अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया है कि उपरोक्त मुल्जिमानों ने दहेज के लिए दिनांक 25.09.2017 को मारपीट कर जीपा उर्फ जिया देवी की हत्या कर दी। **पी०डब्लू० 3 नीलकण्ठ,** जो की मृतका का भाई है, ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि घटना दिनांक 25.09.2017 को समय करीब 08:00 बजे सुबह राजू, आशा देवी, ससुर जगदीश और ननद सोनी ने मेरी बहन को मारा–पीटा। उससे मेरी बहन की मृत्यु हो गयी। **पी०डब्लू०–4 डा० रूबल सिंघल** को अभियोजन द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराया गया। उक्त चिकित्सक साक्षी द्वारा मृतका जिया देवी उर्फ जीपा का दिनांक 26.09.2017 को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम प्रपत्र प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया तथा जिरह में साक्षी द्वारा यह कहा गया है कि मृतका की मृत्यु शव विच्छेदन से 24 घण्टे पहले होना अंकित किया है।

36. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह साबित है कि अभियुक्त राजू एवं मृतका जिया देवी उर्फ जीपा का विवाह सन् 2012 में हुआ तथा उसकी मृत्यु सन् 2017 में हुयी है। अतः यह साबित है कि मृतका जिया देवी उर्फ जीपा की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुयी।

37. **अब द्वितीय विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थिति से अन्यथा हुयी है?** इस तथ्य के संबंध में सर्वप्रथम अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया जाना समीचीन है। मृतका जिया देवी उर्फ जीपा की **शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–2** पत्रावली पर संलग्न है। उक्त शव विच्छेदन आख्या को **पी०डब्लू०–4 डा० रूबल सिंघल** द्वारा साबित किया गया है। इस साक्षी द्वारा **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया गया है कि मृतका के बाएं कान के ऊपर 5 cm x 1 cm खोपड़ी तक गहरा फटा हुआ घाव था तथा **जिरह** में इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मृतका जिया देवी के सिर में एक चोट थी। इसके अलावा उसके शरीर पर अन्य कोई चोट मौजूद नहीं थी तथा यह भी **जिरह** में कहा है कि मृतका की मृत्यु रक्तस्त्राव हो जाने से हुयी

थी। फिर कहा कि रक्तस्त्राव व सदमा से हुयी थी। **जिरह** में साक्षी द्वारा यह कहा गया है कि मृतका की मृत्यु शव विच्छेदन से 24 घण्टे पहले होना अंकित किया है।

38. पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा उमाशंकर द्वारा मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि उसकी बहन श्रीमती जिया देवी की मृत्यु अभियुक्तगण की मारपीट तथा प्रताड़ित करने से हुयी है। इसी आशय का साक्ष्य **पी०डब्लू०–2 सुरेन्द्र** द्वारा भी दिया गया है तथा अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया गया है कि जिया देवी उर्फ जीपा की हत्या मुल्जिमानों द्वारा की गयी है। मुल्जिमानों ने जिया देवी को लाठी डण्डों से बहुत बुरी तरीके से मारा–पीटा था, जिससे उसके नाजुक/प्राइवेट हिस्से पर काफी चोटें आयी थीं। **पी०डब्लू०–3 नीलकण्ठ** द्वारा भी अपनी **मुख्य परीक्षा के पेज संख्या–2** पर यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी बहन को मारा–पीटा था, जिससे उसकी बहन की मृत्यु हो गयी थी। उपरोक्त साक्ष्यों के खण्डन में बचाव पक्ष द्वारा डी०डब्लू०–1 सुनील, डी०डब्लू०–2 कमल तथा डी०डब्लू०–3 के रूप में राजगोपाल को परीक्षित कराया गया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत **डी०डब्लू०–1 सुनील**, जो कि मृतका की ससुराल ग्राम कुटी मजरा जमसारा, थाना कासिमपुर का निवासी बताया गया है, ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में इस आशय का साक्ष्य दिया है कि राजू के मकान के सामने उसी की जगह में सरकारी हैण्डपम्प था। जिससे जिया देवी बाल्टी में पानी भरकर भैंस को पिलाने जा रही थी। नल के पास जमीन गीली थी। जिससे फिसलकर जिया देवी पीठ के बल गिरी थी और उसका सिर हैण्डपम्प के पास बनी चट्टान की कोर टकरा गया था और वह बेहोश हो गयी थी। मैं उस समय नल पर पानी लेने गया था। वहीं नल के पास मौजूद था। मैंने व मेरे गांव के बलवन्त पुत्र चन्द्रिका प्रसाद ने जिया देवी को गिरते देखा था। उस समय राजू, आशा देवी व जगदीश मौके पर मौजूद नहीं थे। अभियुक्तगण द्वारा धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो कथन अभिलिखित कराए हैं, उसमें भी इस आशय का कथन किया गया है कि जिया देवी जानवरों को पानी पिलाने के लिए नल से पानी भरकर ले जा रही थी और फिसलकर गिर गयी, जिससे उसके सिर में चोट आ गयी। इस घटना को गांव के सुनील पुत्र श्यामलाल व बलवन्त पुत्र चंद्रिका ने देखा था तथा खेत पर आकर सुनील ने सूचना दी थी।

39. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि मृतका जिया देवी उर्फ जीपा की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थिति में नहीं हुयी है, बल्कि सामान्य परिस्थिति से अन्यथा हुयी है। जैसा कि चिकित्सक पी०डब्लू०–4 डा० रुबल सिंघल द्वारा दिए गए साक्ष्य से भी स्पष्ट है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायालय के मत में अभियोजन द्वारा इस तथ्य को साबित किया गया है कि मृतका जिया

देवी उर्फ जीपा की मृत्यु ससुराल में सामान्य परिस्थिति से अन्यथा हुयी है।

40. अब तृतीय विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के ठीक पूर्व मृतका के साथ क्रूरता अथवा प्रताड़ना का व्यवहार उसके पति एवं पति के संबंधियों द्वारा किया गया तथा इसी से संबंधित चतुर्थ विचारणीय प्रश्न है कि क्या यह क्रूरता या प्रताड़ना का व्यवहार दहेज की मांग से संबंधित थी?

41. इस संबंध में अभियोजन पक्ष का अभिकथन है कि मृतका जिया देवी उर्फ जीपा के सास, ससुर व पति विवाह में दिये गये दहेज से संतुष्ट नहीं थे और वे लगातार मृतका को दहेज के खातिर मारते–पीटते थे तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।

42. उक्त तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण एवं बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रतिरक्षा साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक होगा।

43. अभियोजन द्वारा तथ्य के साक्षी के रूप में वादी मुकदमा **पी०डब्लू० 1 उमाशंकर, पी०डब्लू०–2 सुरेन्द्र एवं पी०डब्लू०–3 नीलकण्ठ को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 उमाशंकर** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है तथा अपनी **जिरह के पेज संख्या–4** पर कथन किया है कि मेरी बहन जीपा का विवाह राजी–खुशी से हुआ था। बारात ट्रैक्टर से आयी थी। बारात में लगभग 150–200 आदमी आए थे। राजी–खुशी से शादी व वैवाहिक कार्यक्रम हुआ था और बारात राजी–खुशी विदा हुयी थी। विवाह 14 अप्रैल 2012 में हुआ था। विवाह में विदा होकर जब मेरी बहन गयी थी, तब 5–6 महीना रुकी थी। 5–6 महीने बाद मेरी बहन मुल्जिम राजू के साथ विदा होकर आयी थी। मैं विदा कराने नहीं गया था। राजू 1–2 दिन मेरे रुके थे। फिर चले गए थे। मेरी बहन मेरे घर पर रुक गयी थी। मेरी बहन जीपा 8–10 दिन रुकने के बाद अपनी ससुराल चली गयी थी। 1–2 बार मैं अपनी बहन को उसकी ससुराल छोड़ने गया था। मैं अपनी बहन को विदा कराने कभी नहीं गया। मेरी मां 1–2 बार विदा कराने गयी थी। मेरी मां ही मेरी बहन के यहां आती–जाती थी। मैं मजदूरी और नौकरी के सिलसिले में दूसरे प्रदेशों में रहता था। इसलिए बहन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं अपनी मां की मृत्यु की तारीख नहीं बता सकता। अंतिम बार मेरी बहन किस तारीख को आयी थी, याद नहीं, लेकिन जून–जुलाई में आयी थी। सन् 2017 में आयी थी। उक्त साक्षी ने अपनी **जिरह के पेज संख्या–5** पर कथन किया है कि मैं जब अपनी बहन की ससुराल जाता था, तभी बातचीत होती थी। जीपा की मृत्यु की सूचना मेरे ताऊ की लड़की के पास आयी थी। तब मुझे पता चला था। ताऊ की लड़की का नाम इन्द्र कुमारी है, जिनकी आयु लगभग 55 वर्ष है। मेरी बहन

राजू से बाहर दूसरे प्रदेश में चलकर कमाने के लिए कहती थी और इसी बात को लेकर पति–पत्नी में झगड़ा होता था। मेरी बहन राजू से कहती थी, बाहर चलकर कमाओ, यहां खर्चा नहीं चल पा रहा है। गांव में मजदूरी के कम पैसे मिलते थे। घटना वाले दिन भी पति–पत्नी में बाहर जाकर कमाने की बात को लेकर कहासुनी व झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े में ही मेरी बहन जीपा को चोट आयी थी। घटना की सूचना मुझे शाम साढ़े चार बजे मिली थी। शाम 07.00 बजे मैं मौके पर पहुंच गया था। उस समय पुलिस वाले मौजूद थे। रात भर लाश मौके पर ही रही। मैं और मेरे परिवार वाले जीपा की ससुराल पहुंचने के बाद रात भर मौके पर ही बने रहे।

44. वादी मुकदमा उमाशंकर पी०डब्लू०–1 के उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह साक्षी अधिकतर रोजी–रोटी के सिलसिले में दूसरे प्रदेशों में रहता है तथा बहुत कम अपने घर पर आता है तथा उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि वह कभी भी अपनी बहन जिया देवी को विदा कराने नहीं गया था। जिया देवी को विदा कराने उसकी मां अधिकतर जाती थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसे बहन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उसकी बहन जिया कुमारी की मृत्यु की सूचना उसके ताऊ की बेटी इंद्र कुमारी ने अपने मोबाइल से दी थी। परंतु अभियोजन द्वारा इंद्र कुमारी को भी न्यायालय में न तो परीक्षित कराया गया है और न ही ऐसा ही कारण दर्शित किया गया है कि उक्त अति महत्वपूर्ण साक्षी को क्यों परीक्षित नहीं कराया गया है। उक्त साक्षी के परीक्षित न कराए जाने से न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा–114(G) के प्रतिकूल उपधारणा अभियोजन कथानक के प्रति उपधारित करेगा।

45. अभियोजन की ओर से मृतका जिया देवी उर्फ जीपा के भाई **पी०डब्लू०–3 नीलकण्ठ** को भी परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है अपनी **जिरह के पेज संख्या–2** पर कथन किया है कि मैं अपनी बहन जिया देवी के विवाह के समय छोटा था। जिया देवी के विवाह के समय मेरी आयु करीब 10–11 वर्ष थी। **अग्रेतर** इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं गांव पर कामकाज होने पर कभी–कभी आता हूं। इस मुकदमे की घटना मेरे सामने नहीं हुयी। मैंने घटना को देखा नहीं है। मेरी बहन व उसकी सास का जब झगड़ा हुआ था, तब मैं लुधियाना में था। मेरी बहन को मेरे सामने कभी मारा–पीटा व प्रताड़ित नहीं किया गया। मेरी बहन विवाह में विदा होकर अपनी ससुराल गयी थी। मेरी बहन उस समय कितने दिन ससुराल में रही, नहीं मालूम है। मुझे नहीं मालूम कि बारात में ससुराल जाने के बाद मेरी बहन वापस मायके कब आयी थी। मैं अपनी बहन को कभी विदा कराने नहीं गया। मुझे जानकारी नहीं है कि मेरी बहन को विदा कराने उमाशंकर कभी गए थे कि नहीं। राजू

बहनोई मेरी बहन जिया देवी को अपने साथ मेरे घर लाता था और अपने साथ ही वापस विदा कराकर ले जाता था। जिया देवी के दो लड़के हैं। इन दोनों की जन्मतिथि नहीं मालूम है। यह किस माह, सन् में पैदा हुए, नहीं बता सकता। क्योंकि मैं बाहर रहता हूं। गांव पर नहीं रहता हूं। जिया देवी की ससुराल मुल्जिमान के घर में दो बार गया हूं। एक बार जिया देवी की चौथी की विदा कराने गया था तथा दूसरी बार उसकी मृत्यु पर ससुराल गया था। चौथी की विदा में कितने लोग साथ गए थे, मैं नहीं बता पऊंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे इस समय इतना भी याद नहीं है कि चौथी की विदा उसी दिन करा लाया था या दूसरे दिन विदा करा लाया था। जिया देवी की मृत्यु की सूचना जब मुझे मिली, तब मैं लुधियाना में था। लुधियाना पंजाब प्रदेश में है। यह सूचना मुझे मेरे भाई उमाशंकर ने दी थी। **पी०डब्लू०–3 नीलकण्ठ** ने अपनी **जिरह के पेज संख्या–3** पर कथन किया है कि आज मैंने जो बयान दिया है, वह सारी बात मैंने अपने भाई उमाशंकर के बताए अनुसार बतायी है। मुझे कोई निजी जानकारी नहीं है।

46. अभियोजन के इस साक्षी के बयान में कई विरोधाभास हैं। मुख्य परीक्षा में इस साक्षी द्वारा बहन की मृत्यु की सूचना इंद्र कुमारी द्वारा दिए जाने का कथन किया गया है, जबकि जिरह में अपने भाई उमाशंकर द्वारा दिए जाने का कथन किया गया है। इस साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि वह कभी अपनी बहन की विदा कराने नहीं गया। वहीं दूसरी ओर यह साक्ष्य दिया है कि वह चौथी की विदा कराने गया था तथा उसके साथ उसके भाई उमाशंकर भी थे। जबकि उमाशंकर द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है कि वह अपनी बहन जिया देवी को विदा कराने कभी नहीं गया। जिया देवी को विदा कराने अधिकतर उसकी मां जाती थी। उपरोक्त साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी को प्रकरण के संबंध में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, बल्कि उसके द्वारा जो बयान न्यायालय में दिया गया है, वह अपने भाई उमाशंकर के बताने पर दिया गया है, अर्थात इस साक्षी का साक्ष्य अनुश्रूत साक्ष्य की श्रेणी में आता है।

47. अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षी के रूप में **पी०डब्लू०–2 सुरेन्द्र** को परीक्षित कराया गया है, जो कि मृतका जिया देवी तथा वादी मुकदमा उमाशंकर का बहनोई है। इस साक्षी द्वारा भी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। **पी०डब्लू०–2 सुरेन्द्र** ने अपनी **जिरह के पेज संख्या–4** पर कथन किया है कि एक बार जिया देवी व उसकी सास की लड़ाई होने की खबर पर गया था। यह लड़ाई जिया देवी के विवाह के कितने दिन बाद हुयी थी, नहीं मालूम है। लड़ाई का दिन, तारीख, महीना, वर्ष, तिथि आदि की कोई जानकारी नहीं है। इस बात की कोई रिपोर्ट जिया देवी ने नहीं लिखायी थी। जिया देवी के मायके वालों ने भी रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। किसी अधिकारी

से भी कोई शिकायत नहीं की थी और न ही कोई दरख्वास्त दी थी। जिया देवी अपने विवाह में विदा होकर ससुराल आयी थी, तब कितने दिन ससुराल में रुकी, नहीं मालूम है। चौथी की विदा कराने मैं व उमाशंकर गए थे। विदा कराने शाम को पहुंचा था, शाम को खाना–पीना, खातिरदारी हुयी थी और सुबह राजी–खुशी से विदा कर दिया गया था। कोई विवाद नहीं हुआ था। चौथी में विदा होकर जाने के बाद जिया देवी कितने दिन मायके में रही, ध्यान नहीं है। इस साक्षी ने अपनी **जिरह के पेज संख्या–6** पर कथन किया है कि मैं व उमाशंकर एवं पुलिस वाले रात भर राजू के घर पर ही रहे थे। राजू मुल्जिम भी उस समय अपने घर पर ही मौजूद था। सुबह पुलिस वाले मुझे उमाशंकर, मुल्जिम राजू व लाश को थाने ले गए थे। थाने पर हम लोग 2–3 घण्टे सुबह रुके थे। इस दौरान पुलिस वालों ने लिखा–पढ़ी की और राजू को थाने में बंद कर लिया। मैं उमाशंकर लाश के साथ सण्डीला चला गया था। इस दौरान घर पर प्रकाश, साबिर अली भी आए थे, जो मेरे गांव के हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश बाद में अस्पताल से मिली थी और लाश का अंतिम संस्कार मेंहदी घाट पर हुआ था। मैं नहीं बता पाऊंगा कि मुझे दहेज में भैंस, मोटरसाइकिल व 20,000/– रु० मांगने वाली बात शादी के कितने दिन बाद पता चली।

48. इस साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा जो साक्ष्य दिया गया है, उसमें विरोधाभास है। वादी मुकदमा उमाशंकर द्वारा भी कहा गया है कि वह अपनी बहन की विदा कराने कभी नहीं गया। जबकि साक्षी का यह कहना है कि चौथी की विदा कराने वह उमाशंकर के साथ गया था। इस साक्षी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका जिया देवी उर्फ जीपा को दहेज हेतु प्रताड़ना दी गयी हो तथा यह प्रताड़ना मृत्यु से कुछ समय पूर्व भी दी गयी हो।

49. अभियोजन संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि **मृत्यु के ठीक पूर्व मृतका के साथ क्रूरता अथवा प्रताड़ना का व्यवहार उसके पति एवं पति के संबंधियों द्वारा किया गया तथा अभियोजन यह भी साबित करने में असफल रहा है कि यह क्रूरता या प्रताड़ना का व्यवहार दहेज की मांग से संबंधित थी।**

50. पी०डब्लू० 1 उमाशंकर भाई मृतका जिया देवी उर्फ जीपा, पी०डब्लू० 2 सुरेन्द्र बहनोई मृतका जिया देवी उर्फ जीपा तथा पी०डब्लू० 3 नीलकण्ठ भाई मृतका के उपरोक्त साक्ष्य से न्यायालय के मत में अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया है कि **मृत्यु के ठीक पूर्व मृतका के साथ क्रूरता अथवा प्रताड़ना का व्यवहार उसके पति एवं पति के संबंधियों द्वारा किया गया तथा यह भी साबित होता है कि क्रूरता या प्रताड़ना का व्यवहार दहेज की मांग से संबंधित थी।**

51. विधि निर्माताओं द्वारा धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के परिप्रेक्ष्य में भारतीय

साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत धारा 113 बी का सृजन किया गया। धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता में चार शर्तें उल्लिखित की गयी हैं। **यदि अभियोजन पक्ष इन चार शर्तों को साबित करने में सफल रहे तब विवाहिता की मृत्यु दहेज मृत्यु की श्रेणी की मृत्यु होगी। धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में यह प्राविधान किया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष दहेज मृत्यु के इन अवयवों को साबित करने में सफल रहे तब न्यायालय यह उपधारणा करेगी कि अभियुक्त/अभियुक्तगण ने इस प्रकार की दहेज मृत्यु कारित की है।** इस उपधारणा के पश्चात अभियुक्त/अभियुक्तगण का यह विधिक उत्तरदायित्व है कि वे सिद्ध करें कि उन्होंने इस प्रकार की दहेज मृत्यु कारित नहीं की। यदि वे यह सिद्ध करने में असफल रहते हैं तब धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उपधारणा के आधार पर वे धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषी करार दिये जायेंगे। दाण्डिक न्यायिक प्रक्रिया के तहत सामान्य रूप से अभियोजन पक्ष से अपराध के सामान्य तत्वों को संदेह से परे साबित करने की अपेक्षा की जाती है परन्तु परिस्थितियों एवं सामाजिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता जैसे घृणित अपराध के संबंध में उपरोक्त विधिक उपधारणा की विधिक प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

52. उपरोक्त परिस्थितियों में धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अवलोकन किया जाना समीचीन है। इस सम्बन्ध में **धारा–113–ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम** का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है–

53. दहेज की मृत्यु के बारे में उपधारणा जब प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मॉग के लिए, या उसके सम्बन्ध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

54. **न्यायालय को यह भी देखना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए की परिधि में आने वाली क्रूरता अथवा उत्पीड़न मृतका के साथ विवाह के पश्चात अथवा मृत्यु के पूर्व कारित किया गया है तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दहेज की मांग की गयी।** पूर्व में उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण से तथा पी०डब्लू० 1 उमाशंकर, पी०डब्लू० 2 सुरेन्द्र, पी०डब्लू० 3 नीलकण्ठ के बयानों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा विवाह के पश्चात तथा मृतका जिया देवी उर्फ जीपा की मृत्यु से पूर्व मोटरसाइकिल, भैंस व 20,000/– रु० की मांग अतिरिक्त दहेज के रूप में की थी तथा उक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया था। धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

दहेज की मांग को प्रतिषेधित करती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत दहेज का आशय किसी सम्पत्ति अथवा मूल्यवान प्रतिभूति का लेना देना है अथवा लेने देने का वचन देना है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के माध्यम से यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका तथा उसके परिवार वालों से अतिरिक्त दहेज की मांग की एवं अभियोजन द्वारा यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है कि धारा 498 ए के अन्तर्गत अभियुक्तगण के द्वारा मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विवाह के पश्चात दहेज की मांग की गयी है।

55. अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण पर यह भी आरोप विरचित किया गया था कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की बहन श्रीमती जिया देवी उर्फ जीपा को मारपीट कर ऐसी शारीरिक क्षति यह जानते हुए कि उससे मृत्यु होना संभाव्य है, पहुंचायी और परिणामस्वरूप जिया देवी की मृत्यु हो गयी। उक्त आरोप के संबंध में अभियोजन की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा जिया देवी के साथ दहेज की मांग को लेकर अक्सर मारपीट की जाती थी तथा मृत्यु से 6 माह पूर्व भी अभियुक्ता आशा देवी, जो कि मृतका की सास है, के द्वारा मृतका को डण्डे से मारा गया था, जिससे मृतका का सर फट गया था। अभियोजन की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि इस तथ्य को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है तथा यह भी तर्क दिया गया कि दिनांक 25.09.2017 को भी अभियुक्तगण द्वारा मृतका जिया देवी उर्फ जीपा को मारपीट कर मृत्यु कारित की। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि वादी मुकदमा की बहन श्रीमती जिया देवी की मृत्यु अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर की गयी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा ऐसी कोई घटना प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी गयी है। अतः केवल संभावनाओं के आधार पर अभियोजन द्वारा उक्त तर्क दिया गया है। मृतका श्रीमती जिया देवी उर्फ जीपा की मृत्यु के संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि मृतका की मृत्यु नल पर फिसलकर गिरकर सर में चोट लगने से हुयी है तथा घटना के समय अभियुक्तगण मौके पर भी नहीं थे। पुलिस द्वारा जो डण्डा बरामद किया गया है, उस डण्डे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी नहीं भेजा गया है। अभियुक्त राजू की गिरफ्तारी तथा उससे बरामदगी फर्जी है। धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता का कोई अपराध संदेह से परे अभियुक्तगण के विरुद्ध नहीं है।

56. उभयपक्ष के उपरोक्त तर्कों के आलोक में पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियोजन साक्षियों द्वारा यह कहा गया है कि मृत्यु से 6 माह पूर्व अभियुक्ता आशा देवी, जो कि मृतका की सास है, के द्वारा मृतका जिया देवी के सर पर डण्डे से प्रहार किया गया था, जिससे जिया देवी का सर फट गया था। परंतु इस संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन के उक्त तर्क का समर्थन होता हो। उक्त 6 माह पूर्व की घटना के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। जहां तक प्रश्न दिनांक 25.09.2017 को अभियुक्तगण द्वारा मृतका जिया देवी को मारपीट कर मृत्यु कारित करने का है, तो यहां यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षियों द्वारा उक्त घटना को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया है और न ऐसा देखना संभव है, क्योंकि घटना जिया देवी की ससुराल की है, न कि उसके मायके की। अतः परिस्थितियों तथा अन्य साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन को धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध साबित करना होगा। बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि मृतका जिया देवी जानवरों को पानी पिलाने के लिए नल से पानी भरकर ले जा रही थी और फिसलकर गिर गयी, जिससे उसके सिर में चोट आ गयी। उक्त तथ्य का उल्लेख अभियुक्तगण द्वारा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में भी, किया गया है। अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–1 उमाशंकर** ने **जिरह के पेज संख्या–5/6** पर यह स्वीकार किया है कि राजू के मकान के अंदर एक हैण्डपम्प है और एक हैण्डपम्प सरकारी घर के बाहर खड़ंजे पर लगा है। मेरी बहन घर के काम और घर के बाहर के काम भी करती थी। जानवर को पानी पिलाना, चारा करना आदि काम करती थी। **पी०डब्लू०–2 सुरेन्द्र** द्वारा भी **जिरह के पेज संख्या–7** पर यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण के मकान के दरवाजे पर एक सरकारी हैण्डपम्प लगा है। अभियोजन के उक्त साक्षियों के बयान में अभियुक्तगण द्वारा धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उसका समर्थन होता है। **पी०डब्लू०–4 डा० रुबल सिंघल** द्वारा भी अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया कि मृतका जिया देवी के शरीर पर केवल सर पर एक चोट का निशान था। शरीर पर अन्य कोई निशान नहीं थे। यदि तीनों अभियुक्तगण द्वारा मृतका को मारा–पीटा गया होता, तो मृतका के शरीर पर अन्य चोट के भी निशान आने चाहिए थे। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अन्य चोट आने का अभाव है। केवल मृतका के शरीर पर एक चोट है। जिससे भी बचाव पक्ष के इस तर्क को बल मिलता है कि मृतका की मृत्यु फिसलकर पीछे गिरने से, चोट लगने से हुयी है।

57. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह **डी०डब्लू०–1 सुनील** द्वारा भी अपने साक्ष्य में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि जब वह नल पर पानी लेने गया था, तब उसने देखा था कि जिया देवी बाल्टी से पानी भरकर भैंस को पानी पिलाने ले जा रही थी। नल

के पास जमीन गीली थी, जिससे फिसलकर जिया देवी का सर हैण्डपम्प के पास बनी चट्टान की कोर से टकरा गया था। अर्थात यह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। इसके द्वारा इस तथ्य का भी साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्तगण मौके पर नहीं थे। अभियुक्तगण जगदीश एवं आशा देवी खेत पर थे, जबकि राजू जमसारा गांव में कमल के घर मजदूरी कर रहा था तथा उसके द्वारा सूचना आशा देवी के खेत पर जाकर दी थी और तब ये लोग मौके पर आए थे। **डी०डब्लू०–2 के रूप में कमल** को भी बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर यह साक्ष्य दिया गया है कि राजू घटना वाले दिन उसके यहां बन रहे मकान पर काम कर रहा था। **डी०डब्लू०–3 राजगोपाल** द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर यह साक्ष्य दिया गया है कि घटना वाले दिन जगदीश व उसकी पत्नी आशा देवी उसके खेत में मक्का की फसल काट रहे थे। गांव के किसी व्यक्ति ने आकर खबर दी कि जगदीश की बहू नल पर फिसल कर गिर गयी है। उक्त तीनों ही बचाव पक्ष के साक्षियों से अभियोजन की ओर से जिरह की गयी है, परंतु जिरह में ऐसा कोई तथ्य उभरकर सामने नहीं आया है, जिससे उपरोक्त बचाव पक्ष के साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर कोई अविश्वास किया जा सके। उक्त बचाव पक्ष के द्वारा दिए गए साक्ष्य के खण्डन में अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका जिया देवी की मृत्यु साशय से न होकर एक दुर्घटना मृत्यु थी, जो कि नल पर फिसलकर गिरने से हुयी थी।

58. जहां तक अभियोजन की ओर से दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि अभियुक्त राजू के द्वारा आलाकत्ल एक अदद बांस का डण्डा बरामद किया गया था, जिस पर सूखा खून लगा हुआ था। जिसके संबंध में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–10 पत्रावली पर दाखिल है तथा प्रदर्श क–11 उपरोक्त बरामदगी के संदर्भ में नक्शानजरी है। उपरोक्त के संबंध में पी०डब्लू०–7 जितेन्द्र प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक द्वारा मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया गया है कि अभियुक्तगण राजू, जगदीश व आशा देवी को दिनांक 28.09.2017 को समय 08.10 ए०एम० पर गिरफ्तार किया गया था तथा गिरफ्तार अभियुक्त राजू द्वारा जिस डण्डे से मृतका को मारा गया था, उसकी बरामदगी कराए जाने का बयान दिया था तथा दिनांक 28.09.2017 को ही अभियुक्त राजू द्वारा उक्त कथित बांस का डण्डा बरामद कराए जाने का कथन अभियोजन की ओर से किया गया है। बचाव पक्ष के द्वारा उक्त गिरफ्तारी तथा बरामदगी को फर्जी होना कहा गया है। इस संबंध में पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा उमाशंकर का बयान का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा उमाशंकर द्वारा जिरह के पेज संख्या–5 पर यह साक्ष्य दिया गया है कि घटना की सूचना मुझे शाम साढ़े चार बजे मिली थी। शाम 07.00 बजे मैं मौके पर पहुंच गया था। उस समय पुलिस

वाले मौजूद थे। रात भर लाश मौके पर ही रही। मैं और मेरे परिवार वाले जीपा की ससुराल पहुंचने के बाद रात भर मौके पर ही बने रहे। इस संबंध में **पी०डब्लू०–2 सुरेन्द्र**, जो कि मृतका तथा वादी मुकदमा का बहनोई है तथा जो मृतका की मृत्यु की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा था, ने **जिरह के पेज संख्या–6** पर यह कहा है कि मैं व उमाशंकर एवं पुलिस वाले रात भर राजू के घर पर ही रहे थे। राजू मुल्जिम भी उस समय अपने घर पर मौजूद था। सुबह पुलिस वाले मुझे उमाशंकर मुल्जिम राजू व लाश को थाने ले गए थे। थाने पर हम लोग 2–3 घण्टे सुबह रुके थे। इस दौरान पुलिस वाले ने लिखा–पढ़ी की थी और राजू को थाने में बंद कर लिया। पी०डब्लू०–2 सुरेन्द्र के अनुसार पुलिस द्वारा घटना के दिन, अर्थात 25.09.2017 को ही अभियुक्त राजू को थाने में बंद कर लिया था, जबकि पी०डब्लू०–7 जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त राजू की गिरफ्तारी दिनांक 28.09.2017 को दर्शित की गयी है। इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त राजू की फर्जी गिरफ्तारी दिखायी गयी है एवं **पी०डब्लू०–7 जितेन्द्र प्रताप सिंह उपनिरीक्षक जिरह के पेज संख्या–3** पर यह स्वीकार किया गया है कि फर्द आलाकत्ल प्रदर्श क–10 में अभियुक्त राजू की गिरफ्तारी का समय व स्थान अंकित नहीं है। फर्द बरामदगी में जिस रपट संख्या से मुल्जिम को लेकर रवाना हुआ था, उसकी संख्या फर्द में नहीं लिखी है। फर्द बरामदगी आलाकत्ल में बहवाले रपट नंबर शब्द लिखने के बाद रिक्त स्थान है और समय 09.15 ए०एम० लिखा गया है। फर्द बरामदगी में ऊपर जो पंक्तियां लिखी हैं, उनके मध्य अंतर ज्यादा है तथा नीचे की पंक्तियों के मध्य अंतर कम है। फर्द के गवाह लालता व विपिन की वल्दियत व पता का उल्लेख फर्द प्रदर्श क–10 में नहीं है। मुझे लालता व विपिन के पिता का नाम नहीं मालूम है। विवेचक उक्त साक्ष्य से यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि उक्त गिरफ्तारी तथा फर्द बरामदगी दोनों ही फर्जी हैं। विवेचक को बरामदगी के समय उपस्थित गवाहों के पिता का नाम भी नहीं मालूम है। उक्त गवाहों को अभियोजन की ओर से परीक्षित भी नहीं कराए गए हैं, जिससे भी उक्त फर्द बरामदगी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। साक्षी जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दाखिल आरोप पत्र तथा नक्शानजरी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साबित किया है तथा **दिनांक 16.12.2023** को दिए गए साक्ष्य में इस साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि केस डायरी में किसी भी पर्चे में विवेचना प्रारंभ करने व समाप्त करने का समय अंकित नहीं है। जबकि केस डायरी में इस बात का कॉलम है कि दिनांक व जब कार्यवाही की गयी। केस डायरी के पर्चे भिन्न–भिन्न व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। केस डायरी के पर्चा संख्या–3 में फर्द बरामदगी, डण्डे के गवाह विपिन व अंकुर चौधरी के बयान अंकित हैं। दोनों व्यक्तियों के नाम के आगे केस डायरी में सन आफ अंकित है तथा पिता के नाम

अंकित नहीं है। कोई वल्दियत नहीं लिखी गयी है। केस डायरी के इसी पर्चे में साक्षी लालता का बयान अंकित है। उसके नाम के आगे सन आफ नहीं लिखा गया है। स्थान रिक्त है। केस डायरी तथा साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि विवेचक श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अत्यंत सतही विवेचना की गयी है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विवेचना में महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में विवेचक द्वारा कोई रुचि नहीं ली गयी है तथा कथित आलाकत्ल डण्डे को इसी कारण विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध भी साबित करने में असफल रहा है।

59. विवेचक का यह कर्तव्य है कि वे दाण्डिक मामलों में निष्पक्ष एवं ऋजू विवेचना सम्पादित करें क्योंकि विवेचना तथा विवेचना के आधार पर दाखिल आरोपपत्र एवं उसके साथ विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य विचारण का आधार होता है। **गुजरात राज्य बनाम किशन भाई एवं अन्य क्रिमिनल अपील नं–1485/2008 निर्णय दिनांकित** 07.01.2014 में माननीय न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि–On the culmination of a criminal case in acquittal , the concerned investigating / prosecuting official (s) responsible for such acquittal must necessarily be identified . A finding needs to be recorded in each case , whether the lapse was innocent or blameworthy . Each erring officer must suffer the consequences of his lapse , by appropriate departmental action , whenever called for . Taking into consideration the seriousness of the matter, the concerned official may be withdrawn from investigative responsibilities, permanently or temporarily, depending purely on his culpability. We also feel compelled to require the adoption of some indispensable measures , which may reduce the malady suffered by parties on both sides of criminal litigation . Accordingly we direct , the Home Department of every State Government , to formulate a procedure for taking action against all erring investigating / prosecuting officials/officers. All such erring officials/ officers identified , as responsible for failure of a prosecution case, on account of sheer negligence or because of culpable lapses, must suffer departmental action. The above mechanism formulated would infuse seriousness in the performance of investigating and prosecuting duties, and would ensure that investigation and prosecution are purposeful and decisive. The instant direction shall also be given effect to within 6 months.

60. **दयाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2012 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू. 4488** में

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– The investigation officer is completely responsible and answerable for the manner and methodology adopted in completing his investigation. Where the default and omission is so flagrant that is speaks volumes of a deliberate act or such irresponsible attitude of investigation, no court can afford to overlook it whether it did or did not cause prejudice to the case of prosecution. It is possible that despite such default/omission the prosecution may still prove its case beyond reasonable doubt and court can so return its finding but at the same time the default and omission would have a reasonable chance of defeating the case of the prosecution in some events and the guilty could go scot free.

61. प्रस्तुत प्रकरण में **विवेचक अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी** द्वारा विवेचना सम्पन्न की गयी है। उक्त विवेचक द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों को एकत्र नहीं किया गया। विवेचना सत्य की खोज की एक प्रक्रिया है। विवेचक ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों के सम्बंध में विवेचना एवं साक्ष्य संकलन न करके अप्रत्यक्ष रूप से न्याय की क्षति कारित की है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि–व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में **विवेचक अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी** के विरूद्ध **विभागीय कार्यवाही** का आदेश दिया जाना न्यायोचित है, जिससे विवेचना की सुचिता बनायी रखी जा सके।

62. आपराधिक विधि शास्त्र का यह स्वर्णित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्ति–युक्त संदेह से परे स्वयं साबित करना होता है एवं यदि अभियोजन के मामले में युक्ति–युक्त संदेह उत्पन्न होता है तो इसका लाभ सदैव अभियुक्त के पक्ष में जाता है। अपराधिक विचारण में यह दायित्व अभियोजन पक्ष का है कि वह अपना कथन सिद्ध करें तथा न्यायालय का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि जैसा अभियोजन का कथन है, उसी प्रकार से सिद्ध किया जाये। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में किसी भी प्रकार के अभिवृद्धि या सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैसा कि अभियोजन पक्ष का यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के आवश्यक तत्व को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित करे और यदि अभियोजन पक्ष अपने इस दायित्व में विफल रहता है तो उसका लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिये।

63. अतः पत्रावली पर समस्त मौखिक तथा अभिलेखीय साक्ष्य के विश्लेषण, विवेचन एवं साक्षियों के मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के मत में अभियोजन, अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498 ए, 304 बी, 304 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल

रहा है। **अभियुक्तगण राजू, जगदीश एवं आशा देवी** को **धारा 498 ए, 304 बी, 304 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अधीन वर्णित दण्डनीय अपराध के अभियोग **दोषमुक्त** किए जाने योग्य है।

आदेश

64. **अभियुक्तगण राजू, जगदीश एवं आशा देवी** को **धारा 498 ए, 304 बी, 304 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के अधीन वर्णित दण्डनीय अपराध के अभियोग में **दोषमुक्त** किया जाता है।

65. अभियुक्तगण जमानत पर हैं तथा न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

66. अभियुक्तगण राजू, जगदीश एवं आशा देवी धारा 437 (ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत 20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समतुल्य धनराशि की एक–एक प्रतिभू निर्णय की तिथि से अंदर तीन दिवस निष्पादित करें कि यदि किसी उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में कोई अपील या याचिका संस्थित की जाती है, तथा उच्चतर न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे आहूत किया जाता है, तो वह उपस्थित रहेंगे। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 (ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल बन्धपत्र व प्रतिभू निर्णय के दिनांक से छः माह तक प्रवृत्त रहेंगे।

67. **विवेचक श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी** के विरूद्ध **विभागीय कार्यवाही** किये जाने हेतु निर्णय की एक प्रति **पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ** को जरिए **रजिस्टर्ड डाक** तथा **जरिये ई–मेल भी प्रेषित की जाय।**

दिनांक–10.03.2026 **(यशपाल)**

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4,

हरदोई।

जे०ओ० कोड–यू०पी० 1867

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–10.03.2026 **(यशपाल)**

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4,

हरदोई।

जे०ओ० कोड–यू०पी० 1867